



समन्वय/क्षेत्रीय कार्यालय/2019  
06.05.2019

परिपत्र

सीबीएसई से संबद्ध संस्थानों के प्रमुख

विषय : कक्षा X एवं XII में विषय (यों) के परिवर्तन के लिए अनुदेश एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया

महोदया/महोदय,

संबद्धता उपविधियों के अनुसार, सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक सत्र अप्रैल से मार्च तक है। कई छात्र कक्षा X एवं XII में पढ़ते हुए विभिन्न कारणों से विषय (यों) को परिवर्तित करते हैं। तथापि अध्ययन की योजना के अनुसार, दोनों कक्षाओं X (IX एवं X) और XII (XI एवं XII) में दो वर्षीय कोर्स हैं, छात्रों को कक्षा IX / XI में उन विषयों की पेशकश करने के लिए परामर्श दिया जाता है जो वे कक्षा X/XII जारी रखना पसंद करेंगे और स्कूल में उपलब्ध हैं जिसके लिए परीक्षा उपविधियों में प्रावधान भी हैं।

आप जानते हैं कि अधिसूचना सं. COORD/EC-6.12.2018/2019 दिनांक 13.03.2019 के तहत परीक्षा उपविधियों के नियम 26 में संशोधन क्रम सं. II पर विषय (यों) में परिवर्तन के लिए नीति से संबंधित संप्रेषण किया गया है। परिशोधित नियम के अनुसार, कक्षा X/XII में विषय (यों) में परिवर्तन के लिए अनुरोध स्वीकार किया जाएगा बशर्ते शैक्षणिक सत्र के 15 जुलाई से पहले ऐसा अनुरोध किया गया हो। कक्षा X/XII में विषय (यों) में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए, मानक प्रचालन प्रक्रिया का निर्माण किया गया है जो कि इस प्रकार है:

क्रम सं.	गतिविधि	समय सारणी
1	माता-पिता/अभ्यर्थी का अनुलग्नक- I पर दिए गए प्रारूप और इन दस्तावेजों सहित विषय (यों) में परिवर्तन के लिए आवेदन करना क) विषय में परिवर्तन के लिए माता-पिता/अभ्यर्थी का अनुरोध ख) यदि वही स्कूल है, तो पिछली कक्षा का रिपोर्ट कार्ड ग) यदि स्कूल परिवर्तित किया जाता है अथवा किया जा रहा है, तो पिछले स्कूल का रिपोर्ट कार्ड और स्थानांतरण प्रमाण पत्र घ) चिकित्सीय आधार के मामले में, सरकारी चिकित्सालय से चिकित्सा प्रमाण पत्र ङ) उपर्युक्त (क) एवं (घ) से अलग कारण को समर्थन करने वाला प्रासंगिक दस्तावेज	शैक्षणिक सत्र की 15 जुलाई तक
2	जब स्कूल कोई अनुरोध प्राप्त करेगा, उसी के अनुसार स्कूल द्वारा विश्लेषण किया जाएगा:-	शैक्षणिक सत्र की 15 जुलाई तक



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

	<p>(क) विषय के परिवर्तन के लिए कारण वास्तविक है?</p> <p>(ख) कक्षा IX/XI में प्रदर्शन क्या था?</p> <p>(ग) क्या बालक समायोजन करने में असमर्थ है?</p> <p>(घ) अनुरोध किया गया नया विषय स्कूल में उपलब्ध है</p> <p>(ङ) स्कूल में वांछित विषय के शिक्षक भी उपलब्ध है</p> <p>(च) स्कूल ने उस विषय के संबंध में संबद्धता एकक एवं कौशल शिक्षा एकक (कौशल विषयों के लिए) से संबद्धता ली है।</p> <p>(छ) अध्ययन की योजना के अनुसार विषयों का चयनित संयोजन मान्य है।</p>	
3	<p>स्कूल को यथा ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ समर्थित (कक्षा X एवं XII के लिए अलग-अलग) विषय के परिवर्तन के सभी मामलों को तालिका रूप में समेकित करना है और प्रासंगिक दस्तावेजों/अंकतालिका इत्यादि सहित विषय शिक्षक/ कक्षा शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की निर्दिष्ट सिफ़ारिश सहित अनुरोधों को सीबीएसई संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करना है। अनुलग्नक- II पर पत्र का प्रारूप दिया गया है।</p> <p>(प्रत्येक स्कूल से कक्षा X एवं XII के लिए केवल एक अनुरोध स्वीकार किया जाएगा)।</p>	<p>क्रम सं. 02 पर दी गई गतिविधि की तिथि अर्थात् 21 जुलाई से 07 दिनों के अंदर</p>
4	<p>क्षेत्रीय कार्यालय को स्कूलों को विसंगति यदि कोई है, संप्रेषित करनी है,</p>	<p>प्राप्ति की तिथि अर्थात् 20 अगस्त से एक माह के अंदर</p>
5	<p>स्कूल क्षेत्रीय कार्यालय को विसंगति को पूर्ति के लिए संप्रेषित करेगा</p>	<p>क्रम सं. 04 पर दी गई गतिविधि की तिथि अर्थात् 27 अगस्त से 07 दिनों के अंदर</p>





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

6	सीबीएसई द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि	15 सितंबर क्योंकि साधारण शुल्क सहित (बिना विलंब शुल्क) एलओसी को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है।
7	क) माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी है, के स्थानांतरण के आधार पर 15 जुलाई के बाद सीधे प्रवेश के कारण विषय के परिवर्तन के मामले में ख) सीबीएसई द्वारा पहले अवसर के कंपार्टमेंट परिणाम की घोषणा के 07 दिनों के अंदर सीधे प्रवेश के कारण विषय के परिवर्तन के मामले में	संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना ताकि प्रवेश के 07 दिनों के अंदर पहुंचे

सीबीएसई को अनुरोध अग्रेषित करने से पहले, स्कूल सुनिश्चित करेगा कि :-

1. किसी भी तरीके से, उन विषयों के परिवर्तन का कोई अनुरोध को जिसके अध्ययन की व्यवस्था माता-पिता करेंगे, सीबीएसई द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अब लगभग सभी विषयों में आंतरिक आंकलन है और स्कूलों को छात्र के आंतरिक मूल्यांकन में प्रदर्शन करना होगा।
2. वे निर्देशों से विचलित नहीं हो रहे हैं। यदि कोई मामले में, यह पाया जाता है कि अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है, तो सीबीएसई अनुरोध अस्वीकार करेगा जिसके लिए स्कूल जिम्मेदार होगा।
3. स्कूलों से उपर्युक्त निर्देशों को पढ़ने और समझने का अनुरोध किया जाता है ताकि उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
4. स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षा के अनुसार सभी दस्तावेजों को माता-पिता/छात्र से प्राप्त किया जाता है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदान किया जाता है।
5. सभी मामलों में यथा उपर्युक्त उल्लिखित कालक्रम में सभी दस्तावेजों को प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

भवदीय,

हस्ता. /

(डॉ. संयम भारद्वाज)  
परीक्षा नियंत्रक